राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 जयपुर, दिनांकः 11 मई, 2018

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– **महालेखाकार की लेखा पुस्तकों से वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के अंक मिलान (Reconciliation) बाबत।**
संदर्भः– **इस विभाग का पत्रांक प6(9) वित्त–1(1)आ.व्य./2017 दिनांक 23.04.2018**

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के आंकडों का अंक मिलान दिनांक 18.05.2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अ.शा.पत्र क्रमांक रिपोर्ट (एएडी)/2/(1175)/2018–19 538 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि अभी भी कतिपय बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य **18 मई, 2018 तक** आवश्यक रूप से पूर्ण करवाकर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रमाण पत्र की एक प्रति इस विभाग को भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि अन्तिम तिथि के पश्चात् लेखों में सुधार सम्भव नहीं होगा । अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं करने के परिणामस्वरूप लेखों में यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह होंगे।

भवदीय,

(शरद मेहरा)
निदेशक(बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर सैल) विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव (बजट)

\\10.68.50.13\2003\2013\Sitaram Agarwal\Letter\Reconcilation Letters .doc